न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 54 / 2024

1 प्रकाशचन्द्र आयु ... वर्ष पुत्र रामप्रताप शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गनेड़ी तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 अमित कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद भातरा
2 श्रवण कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद भातरा
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गनेड़ी तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर, राज.।
3 पटवारी हल्का गनेड़ी तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.।
4 उप पंजीयक नेछवा उप तहसील नेछवा जिला सीकर राज.।
5 नायब तहसीलदार नेछवा उप तहसील नेछवा जिला सीकर राज.।
6 तहसीलदार, तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी महोदय लक्षमणगढ़ बउनवानी प्रकरण प्रकाशचन्द्र बनाम ज्योति देवी वगैरह दिनांक 05.01.2024 मुकदमा नम्बर 28 / 2016 स्थानान्तरण एस.डी.ओ. नेछवा मु.नं. 153 / 2023

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री नसीर अहमद खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 26.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (स्थानान्तरण एस.डी.ओ. नेछवा) द्वारा मुकदमा नम्बर 04/2014 (एस.डी.ओ. नेछवा मु.नं. 153/2023) में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 361/3 वाके गनेडी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दावा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पिता द्वारा किये गये इकरारनामा से पाबन्द है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता ने अपने जीवनकाल में कब्जा अपीलांट को सौप दिया था विचवारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा के दावे के लिए किसी रजिस्टर्ड डोक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है उसके लिए मौके पर भौतिक रूप से कब्जा होना आवश्यक है वादग्रस्त संपदा के 1/2 भाग पर अपीलांट/वादी का सुव्यवस्थित व सुदृढ़ कब्जा चला आ रहा है इसलिए विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर अपीलांट/वादी का दावा अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर कानूनी भूल की है। वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित नहीं है क्योंकि वादी ने कब्जे के आधार पर अपने कब्जे को प्रोटेक्ट करने के लिए यह दावा पेश किया है प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 इकरारनामा जो उसके पिता ने किया था उससे मुकर रहा है अपीलांट/वादी का कोई मालिकाना हक का दावा नहीं है ऐसी सूरत में तनकी कायम की जाकर व साक्ष्य लेकर दावे का निर्णय किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवदेन के साथ प्रस्तुत की गई है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में अपजींकृत इकरारनामें के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। विधि अनुसार अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर वादी अपीलांट सिविल न्यायालय में स्पेसीफिक परफोरमेन्स एक्ट के अन्तर्गत चाराजोही कर सकता है। राजस्व न्यायालय को इकरारनामें के आधार पर वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में अपजींकृत इकरारनामें के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। विधि अनुसार अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर वादी अपीलांट सिविल न्यायालय में स्पेसीफिक परफोरमेन्स एक्ट के अन्तर्गत चाराजोही कर सकता है। राजस्व न्यायालय को इकरारनामें के आधार पर वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर